MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Eighteenth" *substitute* "Nineteenth" (1)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.09 hrs.

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

Sir, as the statement of objects and reasons appended to the Bill makes it clear, it is not the intention to introduce any change of substance or procedure in the law governing payment of compensation to displaced persons. The Bill merely seeks to validate the action that has already been taken, in order to bring the position in line with the judicial pronouncement made by the Punjab High Court some time ago in May 1964 in a writ petition.

The proposed legislation governs the cases of those displaced persons whose properties were subject to mortage in favour of residents in West Pakistan. While determining the amount of compensation due to such dispaced persons in respect of the immovable properties left by them in West Pakistan, deductions were made corresponding to the mortgage charge on those properties. This was done in accordance with the decision taken in the meeting of the Joint Rehabilitation Board (consisting of representatives of the Central Government, Governments of East Punjab and Pepsu States) held at Simla in May 1952. Apparently, it was not considered necessary at that time to make a specific provision in this regard in the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, the position having been regulated by the issue of executive instructions only. The Punjab High Court's judgment has made it necessary, however, to make good that omission.

Sir, I might add here that provision for the purpose for making deduction on account of the mortgage charge on properties, already exists in the Act where both the mortgagor and the mortgagee had come over to India as displaced persons, *vide* Section 7 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 read with Section 16(3) of the Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951. Under the latter Section, the debt of the mortgagor displaced person, as due to the mortgagee displaced person has to be reduced in the same proportion as the compensation payable in respect of the property bears to the value of the verified claim in respect of the property, and the amount of debt thus arrived at is deducted from the compensation due to the mortgagor. The same principle

(Shri D. R. Chavan).

has in actual practice been followed in the cases which are now sought to be regularised by the proposed legislation. Where the property allotted in India to the mortgagor displaced person is agricultural land, he is allowed an option either to retain the property on his paying in cash the amount of debt so deductible, or to surrender the portion of the property of a value equivalent to the amount of such deduction. On failure of payment of such amount, it is proposed to make the amount recoverable in the same manner as arrears of land revenue.

In the erstwhile State of Punjab, about 23,500 cases of displaced persons whose lands were mortgaged with the residents in West Pakistan were decided on the basis of executive directions. Land worth about Rs. 35 lakhs is estimated to have been redeemed by the mortgagors, while an area worth about Rs. 40 lakhs has been retrieved for non-payment of the mortgage debt. On a rough basis, it is felt that if the proposed legislation is not undertaken, Government may be faced with claims involving refund of about Rs. 1 crore, besides the reopening of the numerous cases finalised in the past. Under these circumstances, it has become necessary to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, to provide for deduction from the compensation payable to the displaced persons on account of the mortgage charge, and to give retrospective effect to the provision.

Sir, this is a simple measure and I commend the acceptance of this Bill by the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 be taken into consideration."

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is very good that this amendment has finally come to Parliament and will be agreed to. Many cases which were covered by the executive orders were questioned and by this enactment they will be given a legal shape. I just wanted to ask a question from the Minister as to what will be the position in the case of Muslims who had mortgaged their lands to non-Muslims in this part of the country? Of course, we have covered the cases of lands mortgaged by non-Muslims to the Muslims. But what about the cases of Muslims who had mortgaged their lands to the non-Muslims?

Those people had finally been given those records of their mortgages, Rahin Miadi, Rahin Mustajari and other cases, and a period of more than 20 years has passed in many cases but still they have neither been given any compensation nor occupation or possession or ownership of those lands. So, I request the hon. Minister of Rehabilitation that a reciprocal arrangement should also be reached at some sort of an understanding, between the parties so that such cases should also be covered in future. I know that it is not possible in this amendment but he should keep it in mind so that at some future date these cases may be discussed with the Pakistan Government and the refugees who came over to this side or non-Muslims who are holding those records are also given proper compensation or relief by way of deductions.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पुनर्वास और मुआवजा देने का प्रश्न भारत के विभाजन के बाद अत्यन्त महत्व का प्रश्न बना और उस के लिए जिस विधेयक के द्वारा आज मंत्री महोदय ने संशोधन उपस्थित किया है, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जिस स्थिति का निर्माण हुआ उस की नितान्त आवश्यकता थी। इस दृष्टि से मैं इस का स्वागत करता हूं। लेकिन इस अवसर पर मैं मंत्री महोदय

का ध्यान पुनर्वास और मुआवजा देने की उस स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन में अनेकों ऐसे केसेज हैं जिन का अभी पुनर्वास नहीं हो सका या जिन को मुआवजा नहीं मिल रहा है ।

पुराने इतिहास को हम छोड़ दें तो अभी कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के आपसी संघर्ष के अन्दर पंजाब की सीमा पर अनेकों स्थानों पर लोग उजड़े, उन की सम्पत्ति नष्ट हुई, उन के घर घाट नष्ट हुए, वहां के जो उद्योग धन्धे थे उन का भी विनाश हुआ । पंजाब ने सारे भारत के लिये जिस प्रकार से बलिदान दिया, जिस साहस के साथ दुश्मन के साथ लोहा लिया, उस को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का ध्यान पंजाब की ज्यादा से ज्यादा सहायता करने की तरफ निश्चित रूप से जाना चाहिये था । मुझे मालूम है कि हमारे श्री ढिल्लन उस समय मंत्रिमंडल में थे और उन्होंने भी बड़े से बड़ा प्रयत्न किया कि भारत सरकार से उचित सहायता पुनर्वास के लिये और मुआवजा के लिये उन को मिलनी चाहिये । लेकिन वह मिली नहीं । आज तक वहां के उद्योग पुनर्स्थापित नहीं हो सके । वहां पर ऐसे केसेज हैं जिनका पुनर्वास आज तक नहीं हो सका । मैं विशेषकर खेमकरण् क्षेत्र की समस्या की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इस अवसर का लाभ उठाकर उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन पंजाब के वीरों ने जिन पंजाब के नौजवानों ने देश की आजादी की रक्षा के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी की है कम से कम उन के पुनर्वास के लिए और वहां के जो उद्योग हैं उन को पुनर्स्थापित करने के लिये सरकार फराखदिली के साथ और ज्यादा से ज्यादा सहायता दे कर इस मसले को हल करे ।

जहां तक बिल का ताल्लुक है मैं इस का स्वागत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडिंग बिल है उस के बारे में मैं ने कुछ संशोधन दिये हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It was submitted very late. It is not admissible. Whatever you have got o say you can say that.

श्री देवराव पाटिल : इस के बारे में मेरा सुझाव यह था कि जो कम्पेन्सेशन के केसेज हैं, जिन के सम्बन्ध में यह कानून लाया जा रहा है, उस में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिये बिल में तीन महीने की सीमा पैसा देने के लिये रक्खी है । अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो उतनी ज़मीन दे दें । मेरा कहना यह है कि इतने सालों के बाद अगर गवर्नमेंट उनको रकम वापिस करने के लिए कहना चाहती हैं । तो उन को ऐसा करने के लिये उसे कम से कम एक साल का समय तो देना चाहिये । मंत्री महोदय तो तीन महीने का ही समय दे रहे हैं । आप कहेंगे कि रूल्ज में इस मुद्दत् को बढ़ाया जा सकता है ।

> "Within three months of the determination thereof or such longer period as may be prescribed......".

> "As may be prescribed" means as prescribed by rules.

मतलब यह है कि रूल्ज में प्रेसक्राइब करने के बजाय इसी में इसका प्राविजन आपको कर देना चाहिये ।

15.20 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

बिल में कहा है कि सैटलमैंट कमिश्नर जब उन के केसिस को ट्राई करने के लिए डिस्प्लेस्ड परसन को बुलायेगा तो वह उनको नोटिस देगा । मेरा कहना यह है कि डिसप्लेस्ड परसंज को बुलाया जाना चाहिये । और उन को हीयरिंग दी जानी चाहिये । उनका जो कहना है उसको सुना जाना

[श्री देवराव पाटिल]

चाहिये । ये मेरे दो सुझाव थे जिन पर आप को विचार करना चाहिये।

पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं । उनका रिहैबिलिटेशन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी । वह आज तक भी उन का पुनर्वास नहीं कर पाई है । उस को चाहिये कि वह इस काम को तेजी से करे ।

आपको मालूम होगा कि सिन्धी लोग जो उजड़ कर आए थे उन की संख्या चौदह लाख से भी अधिक हैं । लेकिन उन में से कई ऐसे लोग हैं कि जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है । मेरे पास कई केसेज इस तरह के हैं । मेरे पास अभी भी एक टेलीग्राम आया है । उनको अभी भी पुनर्वास के लिये जमीन नहीं मिल रही है । उनका अभी भी पुनर्वास नहीं हो रहा है । यह यवतमाल में आये हुए सिन्धी है । मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ भी आपको ख्याल करना चाहिये ।

एक और महत्व की बात मैं कहना चाहता हूं । जो क्लेम्ज़ एक्ट था वह 1953 में लप्स हो गया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियत मुद्दत में अपने क्लेम नहीं दिये या दे नहीं सके । टैक्नीकल डिफिकल्टी के कारण उनके केसिज कंसिडर नहीं हो रहे हैं । पार्टिशन क कारण जो उनकी हालत खराब हुई है उसको देखना चाहिये जैसा कि अभी मेरे भाई ने सुझाव दिया है रिहैबिलिटेशन के सवाल को अगर आप कुछ हद तक ले सकते हैं, क्लेम्ज़ के सवाल को अगर आप कुछ हद तक ले सकते हैं तो लेने की आपको कोशिश करनी चाहिये । अगर एसा हो गया तो जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंज़ क्लेम्ज़ एक्ट के समय में नहीं दी है उनको भी एप्लीकेशंज़ देने में सहूलियत हो जाएगी, ऐसा करने का उनको भी चांस मिल जाएगा । यवतमाल के भगवान दास, सचानन्द गजन मल आदि सैंकड़ो लोंगों की एप्लीकेशंज़ मेरे पास आई है । जिन लोगों की जमीने पाकिस्तान में रह गई हैं और जिन की एप्लीकेशंज़ क्लेम्ज़ के लिए टैकनीकल ग्राउंड पर नही ली जा रही हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वे उनको दे सकें । मैं यह भी चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन के जो केसिज़ हैं उनको भी जल्दी से निपटाया जाना चाहिय ।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): I cannot accept this Amendment Bill. In 1954 certain rehabilitation grants were given in excess of the property valuation and some lands were mortgaged. Now after 13 years, the Government has come out with an Amendment Bill to realise that money from the poor refugees. The hon. Minister said that the cases of 23,000 persons were there and the money involved was nearly Rs. 40 lakhs or something like that. It was a very big amount for Government to realise from these poor persons as arrears of land revenue. They had already been victims once, and now after thirteen years I do not find any justification on the part of Government to realise this money from them as arrears of land revenue. So, I feel that Government should withdraw this measure.

Secondly, I would like to submit that the Government of India are thinking of realising these sums as arrears of land revenue from the West Pakistan refugees. But what is the law in the eastern region? Let me cite some examples. The West Bengal Rehabilitation Minister, Mr. Niranjan Sen Gupta has sought the intervention of the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi to resolve the existing deadlock in connection with the rehabilitation of refugees. In a letter to the Prime Minister, Mr. Sen

Gupta has drawn her attention to the fact that over 3 million refugees who had come to West Bengal before 1964 and about 6 lakhs refugees who had migrated later on still remain unrehabilitated. This vast mass of displaced persons was causing a serious social and economic problem to the State. The letter says that 49,000 applications for grant of homestead lands were pending before Government since 1963. Another 40,000 displaced persons who had been staying in different transit camps were being denied of facilities of education and medical relief as the camps had been closed by the Union Government. The children of 27,000 displaced persons now staying in permanent liability homes were also being debarred from educational grants owing to a policy pursued by the Union Government. After the Third Plan, medical grant for maintenance of 600 hospital beds for the treatment of refugee TB patients had been withdrawn, the letter added. This is the condition in West Bengal.

In Assam, in one single camp namely Matia camp in the Goalpara district, there are 40,000 refugees still lying without any settlement. In Bamunigaon camp there are more than one thousand refugees who are still there without any settlement. Recently, there has been a further influx of refugees from East Pakistan into Cachar In this way, in West Bengal and Assam, thousands of refugees are still remaining unsettled. The Government of Assam have said that they cannot. settle more than 12,000 refugees in Assam, but the Government of India are pushing these refugees into Assam. They are not even getting a tent for their shelter. They do not even get the simple dole of Rs. 30 with which to maintain themselves. Under these conditions, the attitude of the Government of India towards the refugees is not helpful at all. So, when Government want to amend the Act to enable them to realise some excess money which was given to these poor refugees, I would submit that I cannot accept and I cannot commend it. I hope Government will think in terms of relief and rehabilitation in a better way in order to settle these refugees.

Thirdly, Government should also see that further influx of refugees does not take place into India. For this purpose, the tension between India and Pakistan must be lessened. Towards that end, we must work out a suitable policy so that further influx of refugees from East or West Pakistan does not take place into India and besides a political settlement must also be arrived at between the Government of India and the Govrnemnt of Pakistan.

श्री बसवन्त (भिवंडी) : सभापति महोदय, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के मुआवजे और पुनर्वास के सम्बन्ध में जो विधेयक सदन के सामने है वह पंजाब हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण लाना पड़ा है। जो विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान में अपनी जायदाद को गिरवी रख कर आए हैं इस बिल के द्वारा उनके मुआवजे से गिरवी की रकम को डिडक्ट करने की व्यवस्था की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ आशंका हो रही है। इस बात की जांच-पड़ताल जरूर होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने वहां पर कोई जायदाद गिरवी रखी थी उस ने गिरवी की रकम में से कितना पैसा दे दिया और कितना बाकी रहा। इस के अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि वह गिरवी कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों ने वहां गिरवी रखी वैसे ही वहां के लोगों ने भी गिरवी रखी होगी। इन दोनों का फैसला एक साथ होना जरूरी था।

मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान उल्हासनगर कैम्प की ओर दिलाना चाहता हूं। बीस साल पहले वहां पर जो कैम्प

[श्री बसवन्त]

स्थापित किया गया उस में करीब करीब पन्द्रह हजार फैमिलीज को बसाया गया । स्टेट गवर्नमेंट ने पांच लाख रुपये व्यय कर के उन लोगों को वहां पर बिठा दिया । लेकिन उन की दुकानों का मामला अभी वैसे ही पड़ा हुआ है । मैं ने माननीय मंत्री श्री चव्हाण का ध्यान दो तीन मर्तबा उस तरफ दिलाया है । उन्होंने खुद जा कर उस कैम्प आदि को देखा है । लेकिन इस बारे में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है । इन बीस बरसों में उन लोगों को पक्के मकान या दुकान के लिए जगह दे दी जानी चाहिए थी । इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए । आज वे लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने साल उन को झोंपड़ी में रहना पड़ेगा ।

जब वहां पर पहली मरतबा टाउन प्लान बनाया गया तो रोड मार्जिन 120 फीट का रखा गया था जिसके कारण कोई भी आदमी अपना मकान नहीं बना सकता था । रोड मार्जिन की वजह से वहां पर कठिनाई खड़ी हो गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उल्हास नगर के प्लाटों, मकानों और जगहों के दाम का सवाल जल्दी से जल्दी हल कर दिया जायेगा तो उन लोगों को अपने निजी मकान बनाने में आसानी होगी ।

MR. CHAIRMAN: May I request Members not to go much beyond the scope of the Bill? The scope of the Bill is limited only to the validation of certain executive acts and compensation to the displaced persons of Punjab and we are going much beyond it. So I would request Members to bear this in mind.

श्री भोला नाथ (अलवर) : सभापति महोदय, मैंने भी इस बिल में एक संशोधन पेश किया था । आपने आदेश दिया है कि जिन बातों का इस बिल से अधिक सम्बन्ध नहीं है उनका जिक्र न किया जाये । लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस विषय से सम्बन्धित बातों का उल्लेख इसी समय करना चाहिये । मेरे संशोधन को सिर्फ इस वजह से नामन्जूर कर दिया गया है कि इस बिल से वह सम्बन्धित नहीं हैं ।

हम सब देख रहे हैं कि शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में जो समस्या है वह बीस वर्ष के बाद भी हल नहीं हो पाई है । अलवर और भरत पुर के जिले से कुछ मेव लोग चले गये थे । बाद में महात्मा गांधी के प्रयत्नों से वे लोग वापस आ गये । जिन मकानों को मेव लोग छोड़ कर चले गये थे इस दरम्यान वे में मकान शरणार्थियों को दे दिये गये । लेकिन बाद में मेव लोग भी वापस आ गये । नतीजा यह है कि शरणार्थियों को जिन मकानों में बसा दिया गया, उनस उन मकानों का किराया वसूल किया जा रहा है । जो मेव वापस आ गये उनको अपने मकान नहीं मिले । उनको जो आल्टरनेटिव अकामोडेशन दी गई उनसे उसका किराया वसूल किया जा रहा है । इस तरह से हमारे यहां बड़ा भारी तूफान मचा हुआ है । वर्तमान व्यवस्था से न तो शरणार्थी खुश हैं और न मेव ही खुश हैं । मेव लोगों के जो बड़े-बड़े पक्के मकान थे वे दूसरों को अलाट कर दिये गये लेकिन उन लोगों को कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिला । मैंने अपनी एमेंडमेंट के द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना की थी कि इस समस्या पर भी विचार किया जाये । बीस वर्ष का अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी यह समस्या उलझी हुई है ।

आज रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को पिछले पन्द्रह बीस वर्ष के किराये के नोटिस दिये जा रहे हैं । वे एमाउण्ट बहुत बड़े हैं । हमारे शरणार्थी भाई भी पाकिस्तान में अपने-अपने मकान छोड़ कर आये हैं । अगर उनको कोई आल्टरनेटिव एकामोडेशन दी गई है, तो उस

का किराया वसूल करने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। उस समय की सरकार ने, जिसमें हम लोग भी थे, उन लोगों को वहां पर बसाया था। अब उन से पिछली तारीखों से किराया वसूल किया जा रहा है। जो मेव वापस आ गये, उनको भी खाली मकानों में बसा दिया गया। अब उनसे किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि उनकी अपनी होल्डिंग और मकान आदि वापस नहीं कराए गए और न ही उनको मुआवजा दिया गया।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर फिर से विचार किया जाये। शरणार्थियों को बसाने की यह समस्या बीस वर्ष से चली आ रही है। अब इस समस्या को खत्म कर देना चाहिए। खास कर उन इलाकों में, जहां यह समस्या खत्म हो चुकी है और वे लोग बस चुके हैं, इस तरह से किराये के नोटिस भेजना, डिग्री निकालना और किराये को लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करना बड़ी ज्यादती है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में फ़ैसला होना चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बेरकपुर) : चेयरमैन साहब, मिनिस्ट्री को बहुत दिनों के बाद यह खयाल आया है कि जिन रिफ्यूजीज ने अपनी जायदाद पाकिस्तान में गिरवी रखी थी, उसकी रकम उनके मुआवज़े से वसूल की जाये। कुछ कानूनी पाबन्दियों की वजह से वह रकम वसूल नहीं की जा सकती थी। इसी लिए यह बिल लाया गया है। मेरी राय यह है कि इस वक्त उन लोगों से एरियर्ज़ वसूल करने का सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इस में ग़लती तो डिपार्टमेंट की है। जब यह मामला हाई कोर्ट में गया, तो डिपार्टमेंट को पता चला कि वह उन लोगों से एरियर्ज़ वसूल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि अब इतने अरसे के बाद उनसे एरियर्ज़ वसूल न किये जायें।

वेस्ट बंगाल में पाकिस्तान से आये हुए डिसप्लेस्ड पर्सन्ज के रीहैबिलिटेशन का मसला बहुत बड़ा और अहम है। उन रिफ़्यूजीज को हमारे यहां जगह देने की जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पर सरकार की है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तरफ़ से ऐसा तरीक़ा अख्त्यार किया गया कि वेस्ट बंगाल में करीब-करीब तीस चालीस लाख डिसप्लेस्ड पर्सन्ज का रीसेटलमेंट आज तक नहीं हो पाया है। वहां पर जो कैम्प कायम किये गये थे, उनको डिसबैंड कर दिया गया। वहां पर उन लोगों को जो डोल्ज पैसे, मिलते थे, वे बन्द कर दिये गये। रहने की जगह भी उन लोगों से छिन गई। नतीजा यह है कि आज वे लोग बिना खाने और रहने की जगह के मारे मारे फिर रहे हैं।

रीहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ़ से एक वन हुगुली टैनेमेंट स्कीम बनाई गई थी, ताकि रिफ़्यूजीज वहां पर रहें। वे मकान पांच सात बरस से बन चुके हैं, लेकिन आज कोई भी यह नहीं जानता है कि कोई उन में रहता है या नहीं। हालांकि वहां पर हज़ारों आदमी रह रहे हैं, लेकिन उनसे किराया लेने वाला कोई नहीं है। यह भी कोई नहीं जानता कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डिसप्लेस्ड पर्सन्ज के सिलसिले में वेस्ट बंगाल के साथ इतनी लापरवाही बरती जा रही है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, वेस्ट बंगाल के लिए सबसे बड़ा ममला डिसप्लेस्ड पर्सन्ज का है, जिसकी वजह से वहां पर हमारी सरकार को काम करना मुश्किल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार और मिनिस्ट्री को खास तौर से इस मसले की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को बसाने के सिलसिले में एन्क्वायरी करने के लिए फिलहाल एक कमेटी बनाई गई है लेकिन इससे पहले प्रान्तीय सरकार ने कई रीकमेंडेशन्ज किये, कई सिफ़ारिशें भेजीं उन सिफ़ारिशों पर कोई अमल नहीं किया गया। यहां

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

तक कि जो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बिठायी है उसकी भी रेकमेंडेशन है कि फौरन कुछ न कुछ इस पर अमल किया जाए लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जहां रिफ्यूजीज़ रहते हैं उनकी कालोनीज के पास पानी, टट्टी का और एक मार्केट बनवाने का म्यूनिसिपेलिटी ने निश्चय किया और उसके लिए प्रस्ताव भी पास किया। वहां रेलवे की थोड़ी सी जगह है जो बेकार पड़ी है। म्यूनिसिपैलिटी ने मार्केट बनवाने के लिए उसको मांगा ताकि रिफ्यूजीज़ को खरीद-फरोख्त करने के लिए दूर न जाना पड़े लेकिन वह अब तक नहीं हो सका। जहां उन की कालोनी है वहां रेलवे का एक हाल्टिंग स्टेशन नवापाड़ी में बनाने की उन्होंने मांग की, कई हजार आदमियों ने उस पर दस्तखत किए लेकिन आज तक वह हाल्टिंग स्टेशन नहीं बना। रेलवे की तरफ से कोई ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया गया। यह तमाम बातें हैं जिन को कि आज मैं यहां सदन में रखना चाहता हूं। इसी के साथ-साथ बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें उनको मदद मिलती थी। उन को भी करीब करीब बन्द करते जा रहे हैं। स्कूलों में भी यही हो रहा है। कालेजों में और ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा हो रहा है कि अपरेंटिसशिप में बहुत से लड़कों को वहां रखा गया ट्रेनिंग में। मगर ट्रेनिंग के बाद कुछ लोगों को तो रख लिया गया और बाकी को सर्टिफिकेट देकर वापस किया जा रहा है कि जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब अपने लिए नौकरी अपने आप खोजो। नवजवान रिफ्यूजीज़ के लड़के इस तरह मारे-मारे फिर रहे हैं। यहां इच्छापुर के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दी गई। यहां तक कि स्ट्राइक का नोटिस भी दिया कि क्यों हमें अपरेंटिस बनाया गया। वहां पर इच्छापुर में ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। कहा गया कि डिस्प्लेस्ड परसन्स के लिए यह किया जा रहा है। ट्रेनिंग में बच्चे आये लेकिन उसके बाद उन के काम का कोई बन्दोबस्त नहीं। खाली सर्टिफिकेट देकर उन्हें भगाया जा रहा है। यह तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो आप के विचार में आनी चाहिए और खास तौर पर रिहैबिलिटेशन मन्त्रालय इसके ऊपर ध्यान दे। मैं रेलवे मन्त्री से कहूंगा कि दया कर के बंगाल के उस हिस्से में जो रहते हैं उनके लिए एक हाल्टिंग स्टेशन नवापाड़ा में बनाने की मंजूरी दें और थोड़ा सा लैंड है जो बिल्कुल बेकार पड़ा है, वह रेलवे विभाग म्युनिसिपैलिटी को दे दे जिस के लिए कि म्युनिसिपैलिटी ने मार्केट बनाने की रेकमंडेशन की है। एक वर्ष से इसके लिए कहा जा रहा है लेकिन आज तक कोई इसका ख्याल नहीं हुआ। इस तरह से अगर नेगलेक्ट उनको किया गया और लापरवाही बरती गई तो डिस्प्लेस्ड परसन्स के लिए जिसकी कि जिम्मेदारी पूरी पूरी हमारे देश के ऊपर और हमारी सरकार पर है, यह मुनासिब नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह की दो तरफा बातें उनके लिए नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने के ऊपर पूरा पूरा ख्याल किया जाना चाहिए।

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA (Cachar): Why is this Bill meant only for the West Pakistan refugees? My has a discrimination been made against the East Pakistan refugees and why are they not brought under this Bill?

MR. CHAIRMAN: It is only a question.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA: Because you will say that it does not cover the East Pakistan refugees. If it covers the East Pakistan refugees also, I shall speak a few words. Perhaps the Government knows that so many displaced persons are tottering in the Cachar district. Most of the migrants are still in camps and no scheme has been drawn up to rehabilitate them there or take them to Dandakaranya. I would request the Government to take up measures and schemes so that they can be rehabilitated. A long time ago, I had suggested that the refugees of Cachar should be rehabilitated on both sides

of the railway track so that the Naga aggression could be stopped.

I wanted to say one thing more. Some of the refugees in the district of Cachar have rehabilitated themselves by paddy cultivation on the fallow land in Cachar, but they have not been given any settlement up till now, though they have approached the Assam Government. I hope the Central Government would request the Assam Government to expedite the matter so that they can be rehabilitated there.

श्री रवि राय (पुरी) : चेयरमैन साहब, यह जो विस्थापित लोगों को मुआवजा देने के सिलसिले में बिल लाया गया है मंत्री महोदय की तरफ से उसके सिलसिले में हमारे एक दोस्त अभी बता रहे थे हम को कि भारत सरकार की इस समस्या के सम्बन्ध में जो नीति है उस नीति के चलते डिस्प्लेस्ड परसन्स मिस्प्लेस्ड हो गये हैं। मैं एक बुनियादी सवाल की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो परिवार पूर्वी बंगाल से आये हैं या पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं यह लोग हिन्दुस्तानी हैं और जिस निर्दयता के साथ और सहानुभूतिविहीनता के साथ इन लोगों के प्रति सरकार ने बर्ताव किया है पिछले 20 वर्षों में उसका दर्दनाक किस्सा चेयरमैन साहब, आप को मालूम है। सरकार की ओर से जब महाबीर त्यागी जी इसके मंत्री थे उस वक्त आप जानते हैं कि दण्डकारण्य को लेकर कैसी कैसी धांधलियां और क्या क्या चीजें हुई हैं। पूर्वी बंगाल से शरणार्थी और विस्थापित लोग दण्डकारण्य में बसाने के लिये भेजे गये। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र से जमीन ले कर जो दण्डकारण्य बना तो वहां करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी इन लोगों की समस्या का हल नहीं हो सका। आज भी मैं एक किस्सा आप के सामने बताना चाहता हूं कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहा था; मैं पुरी से आया हूं, वहां पुरी में एक औरत रानी देवी मुझे मिली जो उड़ीसा की बाशिंदा है और पंजाब में उसने शादी की थी। आज 20 साल के बाद भी हमारे सामने वह रोई और उसने सारे कागजात दिखाये। रानी देवी ने हम को बताया कि जब वह पश्चिमी पाकिस्तान से 1948 में पुरी चली आई तो तब से वह कोशिश करती आ रही है उड़ीसा सरकार के जरिये, प्रधान मंत्री को लिख कर के और पुनर्वास मंत्री को लिख कर के कि हमारी वहां पर बहुत जायदाद थी, उसका मुझे मुआवजा दिया जाय लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने इतनी सारी फाइल हमारे सामने रखी तो हम ने जयसुख लाल हाथी को चिट्ठी लिखी और जयसुख लाल हाथी ने वादा किया कि वह इसकी जांच करायेंगे। यह मैं आप को बता रहा हूं कि इस तरह की एक औरत है। उसका कोई लड़का या लड़की नहीं है। अकेली है। पति उसका मर चुका है। उसके पास सेटिलमेंट के किसी आफिसर ने जा कर कहा कि तुम हम को 300 रुपये दो तो मैं तुम्हारे बारे में छानबीन करूंगा। वह बोली कि मेरे पास खाने के लिये भी पैसा नहीं है तो मैं कैसे दे सकती हूं ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ मुआवजा देने का सवाल नहीं है। व तो है ही। लेकिन जो लोग बेकार हैं जो बाकायदा वहां से आये हैं, 20 साल से अपने परिवारों को चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि बेकार रहते हैं उनके लिये खास कर के पुनर्वास विभाग के जो मंत्री हैं उनका फर्ज हो जाता है कि एम्पलायमट एक्सचेन्ज में उनका नाम दर्ज करके नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाय तथा उनके गुजर-बसर के लिये, जिन्दगी चलाने के लिये सरकार की ओर से कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि बेरहमी के साथ, निर्दयता के साथ उनके साथ बर्ताव न किया जाय, सहानुभूति और ममता के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाय। मैं खास तौर से मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रकार के केसेज की ओर दिलाना चाहता हूं,

[श्री रबी राय]

इस प्रकार की औरतें जो बूढ़ी हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके पति मर चुके हैं, उनके लिये व्यवस्था की जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन साहब, इस बिल से जो उजड़े हुए भाई हैं, वे और उजड़ेंगे । गवर्नमेंट का यह फर्ज था कि जितना भी इन भाइयों का नुक्सान हुआ है, चाहे वे पाकिस्तान से आये हैं या मगरबी पंजाब से आये हैं, कम से कम रुपये में आठ आने तो उनको मुआवज़ा देती । चेयरमैन साहब, आप जानते हैं, आप खुद उजड़े हुए भाइयों में से एक हैं और मैं भी उस स्टेट से आता हूं जहां उजड़े हुए भाई ज्यादा तादाद में बसे हुए हैं, एक रुपये मे पांच पैसे भी उन को नहीं मिले । अगर गवर्नमेंट एक रुपये मे से 90 पैसे भी उनको देती, 80 पैसे देती, 70 पैसे देती, तो भी वे काट लेते, जमीन की जगह जमीन में काट लेते, मकान की जगह मकान में काट लेते और नहीं देते तो लैंड रेवेन्यू में वसूल कर लेते, लेकिन जबकि उनको कुछ भी नहीं दिया गया, तो सरकार का कौनसा इखलाकी फर्ज है, सामाजिक फर्ज है, सियासी फर्ज है, इनको कौन सा हक़ है कि जिन आदमियों का इतना नुक्सान हुआ है और जिनको बदले मे कुछ नहीं मिला, एक फीसदी या दो फीसदी भी नहीं मिला, उनसे आप और काटे जा रहे हैं । अरबों रुपये की जायदाद वे पाकिस्तान मे छोड़ कर आये हैं, उन मे से उनको क्या मिला, यह सब हम जानते हैं ।

चेयरमैन साहब, जब बरसों से इन से एक पैसा वसूल नहीं किया गया तो कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता कि अब आप इनसे कैसे वसूल कर सकते हैं । जब 10–15 साल से आपने वसूल नहीं किया, तो लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक तो तीन साल से ज्यादा मियाद हो जाती है तो उसको वसूल नहीं कर सकते । ऐसे केसेज हैं जिनमें सन् 1947 के पहले के रहन हैं, सन् 1947 को ही 21 साल हो चुके हैं, 40–40 साल से रहन हैं, तो हमें देखना होगा कि जब मोर्टगेजेज एक्ट के मुताबिक तीन साल से ज्यादा हो जाता है, तो वह लिमिटेशन से बाहर हो जाता है, तो हम इन से कैसे वसूल कर सकते हैं । जब उन लोगों को हम रिलीफ़ नहीं दे सकते, तो इस तरह से रेहन के लिये कानन बना कर उनसे रिक्लाइज करें, यह गलत है और मैं इसके खिलाफ़ हूं । चाहे यह चीज कांग्रेस की तरफ़ से हो, या गवर्नमेंट की तरफ से हो यह चीज ऐसी है जो इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है । ये चलती-फिरती लाशें हैं, लेकिन बहादुर आदमी हैं, मगरबी पंजाब से या पाकिस्तान से आने के बाद इन्होंने अपनी मेहनत से अपने आपको आबाद किया, सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है । ऐसे आदमी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को वहां पर कुर्बान कर दिया, ये ज़िन्दा शहीद हैं, जो भगत सिंह की याद को ताज़ा करते हैं । चाहे वे वहां से आकर शहरों मे आबाद हुए या देहातों मे आबाद हुए, अपनी मेहनत से आबाद हुए, सरकार से इनको कुछ नहीं मिला है, जो कुछ कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है ।

सरकार का यह मौरल फर्ज था कि इनको रिहैबिलिटेट करती, बजाय उसके आप इसलिये यहां पर आये हैं कि हमें कुछ डाक्यूमेंट मिल गये हैं, यह चीज़ रेहन थी, इसलिये आप उनसे वसूल करना चाहते हैं । आप किस चीज़ से जाहिर करेंगे कि यह चीज़ रेहन थी, वह दस्तावेज़ वहां से नहीं आ सकते, क्या कानूनी तौर पर कोई दस्तावेज़ है, डाक्यूमेन्ट है, जिससे आप यह जाहिर कर सकें कि यह प्रापर्टी मोर्टगेज्ड थी, इसमें एक लार्ज-स्केल कन्फ्यूज़न होगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पहले ही उजड़े हुए हैं

उनको और मत उजाड़ो । जब गवर्नमेन्ट ने दस हजार केसेज या पांच हजार केसेज में या 100 केसेज में भी पेमेन्ट नहीं किया तो इखलाकी तौर पर किस कानून के तहत आप उनसे रियलाइज करना चाहते हैं ।

जनाब, मेरी स्टेट में और पंजाब में इस बिल का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, मास-स्केल पर इफेक्ट होगा । इसलिये मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूं और मैं चाहता हूं कि जो हो गया, वह हो गया, अब इसको वापस ले लें, इसका असर अच्छा नहीं होगा । जिन्होंने देश के लिये कुर्बानियां की हैं, देश के लिये अपनी जायदाद बरबाद कर दी है, एक-एक कुनबे में दस-दस आदमी कत्ल हो गये, अपनी कोशिश से, बहादुरी से रिहैबिलिटेट हो गये, उन पर आप क्यों कुठारा चलाते हैं । मैं आप को यह भी अर्ज कर दूं कि कानूनी तौर पर इस कानून को चेलेन्ज किया जायेगा 226 के अन्दर, चाहे चले या न चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को उठाया जायेगा ।

कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर मैं इस बिल को उन उजड़े हुए भाइयों के खिलाफ़ समझता हूं और चूंकि यह पालियामेन्ट सारे देश की नुमाइन्दा है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस को वापस लें और इस किस्म की कोई चीज न करें जोकि वाजिब नहीं है ।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : चेयरमैन महोदय, इस बिल के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें यह देखना है कि एक कमेटी जो गाडगिल एशोरेन्स कमेटी के नाम से बनाई गई थी, उसकी एशोरेन्सेज को हम ने कहां तक फुलफिल किया है । अगर हमारी सरकार ने उसकी एशोरेन्सेज को फुलफिल किया है, उनको मान्यता दी है, उसके मुताबिक कार्य किया है, तो बेशक इनको हक है कि हम से पैसा वसूल कर सकते हैं । आज बेचारे और पंजाब के दूसरे इलाकों की क्या हालत है आपको मालूम है, 18-20 सालों के बाद अगर आप इस तरह की चीज को ले कर आते हैं और चाहते हैं कि हम से पैसा वसूल करें, तो यह कहां का न्याय होगा ?

मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां से उजड़ कर आये हैं आज उनकी क्या हालत है, हमें इस चीज को देखना होगा, उनके बच्चों की क्या हालत है, आज हम उनको पढ़ा भी नहीं सकते हैं, जितना इन्तजाम हमें उनके लिये करना चाहिये था वह हमने नहीं किया है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है । इस डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके पास कितनी दरख्वास्तें इस तरह की पड़ी हुई हैं और आपने उन पर क्या कार्यवाही की है और कितनी उन लोगों की मदद की है । यदि आप ने मदद की है तो ठीक है, लेकिन आज के दिन भी आपके पास इतनी दरख्वास्तें मौजूद हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं । अगर हम किसी से कोई वायदा करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं और वह कहते हैं कि हम उस कमेटी की राय पर चलेंगे, हम यह विश्वास दिलाते हैं कि हम उस कमेटी की राय के मुताबिक चलेंगे, लेकिन बाद में अगर हमारी सरकार उस वायदे पर नहीं चलती, तो हम अविश्वासी माने जायेंगे और हमारा कोई हक़ उन पर नहीं रह जायेगा ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म की जो चीज हम लाये हैं, यह मुनासिब नहीं है । कम से कम यह तो न करें कि जिस तरह की कहावत है कि आप खून भी करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम ने खून तो नहीं किया है । अगर आप इस तरह की चीज को रखना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि उन छोटे छोटे लोगों के लिये जो बेचारे कह नहीं सकते, जिन को आज भी मुआवजा नहीं मिला है क्योंकि उन लोगों ने बराबर वक्त पर अपनी दरख्वास्तें नहीं दी हैं । आप पूरी चीजों पर एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाइये । इस तरह से

[श्री अ० सि० सहगल]

एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाकर जो इस तरह के लोग हैं उन की आप पूरी मदद करें। उस के बाद यदि आप अपना पैसा वसूल करना चाहते हैं लेकिन कायदे के मुताबिक दरअसल में वह जो आप के रजिस्टर्ड डाक्युमेंट हैं वह कहां तक जायज होंगे इस का भी निर्णय आप को लेना पड़ेगा। यह बिल आप वहां के हाईकोर्ट के एक फैसले के ऊपर ले आये हैं लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस से हमारा फायदा होने वाला नहीं है और जो उजड़े हुए हमारे भाई हैं उनको हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर करने की कोशिश करें, फिर से इस को देखें और आप एक कम्प्रीहेंसिव बिल ला कर लोगों को जो दुःख है उन को दूर करने की कोशिश करें।

16 hrs.

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : सभापति महोदय, जो बिल इस सदन में पेश किया गया है मैं उस का सख्त विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल की कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस बात को आप भी जानते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारे हिन्दुस्तानी भाई भारत में आये हैं वह एक हृदय विदारक दृश्य था। अभी भी वे अच्छे तरीके से इस मुल्क में बस नहीं सके हैं। हिन्दुस्तान के करीब करीब प्रत्येक भाग में आज भी वह भटक रहे हैं। घर के लिये भटक रहे हैं, रोजी के लिये भटक रहे हैं। वह अपने को इस्टैब्लिश नहीं कर पाये हैं और उनसे आप रिऐलाइज करना चाहते हैं ऐरियर्स . . .

SHRI D. R. CHAVAN: Money has already been realised. The only thing that has got to be done is, you have to put a seal of validation on a certain action that has been taken.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Nobody has supported this Bill.

श्री लखन लाल कपूर : मंत्री महोदय अपने बिल की ताईद के लिये जो कुछ कहना था वह कह चुके हैं लेकिन मैं समझता हूं कि न कन्वेंशन है न ही व्यावहारिक है दोनों बातों में मैं समझता हूं कि परे हैं। इसलिए इस बिल को उन्हें वापिस लेना चाहिए। जैसा कि सुझाव इस सदन में आया है चूंकि यह शरणार्थियों के बसाने का प्रश्न है तो शरणार्थियों को बसाने के लिये उन को सहूलियत पहुंचाने के लिए और उन के चलते जो हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक ढांचे में जो एक असन्तुलन है, जो एक असन्तोष है, उस को दूर करने के लिए एक बिल लाना चाहिए।

मैं थोड़ा सा आप का समय इस विषय पर लेना चाहूंगा। पश्चिमी पाकिस्तान से जो आये हुए हमारे शरणार्थी भाई हैं उन की स्थिति से मंत्री महोदय और सभी लोग वाकिफ होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसा भी बिल लाना चाहिए जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान से लाखों भाई और बहन आकर इस देश में बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जहां तहां अभी भी पड़े हुए हैं। उन की रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं उस इलाके से आता हूं और मैं जानता हूं कि उस का नतीजा यह है कि जो ईस्ट पाकिस्तान का बौरडर है, किशनगंज और वैस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी से ले कर वैस्ट दीनाजपुर तक ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को अपना घर और जमीन छोड़ कर आना पड़ा है, मजबूर हो कर घरबार वहां पीछे छोड़ना पड़ा है और उस इलाके में आये हुए हैं उन के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था बसाने की नहीं हुई है। नतीजा यह हो रहा है कि जो स्थानीय बाशिन्दे हैं उन की जमीनों को वह जबरदस्ती दखल कर लेते हैं, उन की फसलों को काटते हैं, जीने के लिये वह वहां पर अपनी एक इस तरह की अवस्था पैदा कर रहे हैं जिस से कि आपस में ला ऐंड आर्डर का प्रश्न उठ रहा है। वहां पर जो बाशिन्दे हैं उन की जमीनों को जबरदस्ती

दखल करने के केसेज हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं। इस तरफ अधिकारियों का ध्यान बार बार दिलाया गया है लेकिन उस के लिये कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो यह मुख्य प्रश्न है उन प्रश्नों को ले कर भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें ताकि भारत की एकता और उन्नति में वह बाधक न हों और देश में शान्ति हो और वह समृद्ध व उन्नत हों। इस बिल को वापिस करें और ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा जो बारडर का इलाका है उस में शान्ति स्थापित हो और साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को बसाने लायक सरकार अपनी ओर से पैसा खर्च कर के तुरन्त व्यवस्था करे। 20 साल का अर्सा गुजर चुका है यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए और भारत सरकार के लिए लज्जा का विषय है कि अभी तक उजड़े हुए लोगों को हम बसा नहीं पाये जिनको कि यहां बसने का हर तरह से अधिकार है क्योंकि वह अपनी वजह से नहीं बल्कि भारत के बंटवारे के समय भारत के नेताओं के गुनाहों के कारण उन पर यह आफत का पहाड़ टूटा है। इसलिए यह नैतिक प्रश्न है और यह नैतिकता की पुकार है कि ऐसे लोगों को बसाया जाय और इस तरह के बिल को ला कर जो बसे हुए हैं उन को उजाड़ने की कोशिश न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): As you have put it so beautifully, the purpose of this Bill has been misunderstood. Here is the hon. lady Member who wants us to go to Cachar and wants that the Railway Minister should allot lands on both sides of the railway track for rehabilitation. I entirely endorse that.

Here was another friend of mine who talked about Indo-akistan conflict. The Indo-Pakistan conflict touched your Constituency, my Constituency and the Constituency of Mr. Iqbal Singh much more than the Constituency of anybody else. You and I have been fighting on this question all these years and we took some responsible Minister from the Centre to that place, so that those persons could be rehabilitated. But there are certain persons who want to take credit for doing certain things which have already been done by you, by me and by Mr. Iqbal Singh.

An hon. Member suggested that we should have pacts between India and Pakistan. What pacts can we have? We are observing the Tashkent Pact but they are not observing it. We left property worth about Rs. 500 crores there, but here the property was worth only Rs. 100 crores. Now what kind of compensation has been given and what kind of rehabilitation has been done. All these things are due to the Government of India and I can tell you that whatever the Government of India has done, it has reason to be proud of. I will tell you, why. The refugees of the First World War which was fuoght between 1914 and 1918 are still wandering over Central Europe without any compensation and without any rehabilitation. The Arabs who were the victims of the Second World War are still unsettled; they have not yet found their homes. So, whatever you may say, our Government, with its paltry resources and financial stringency, has been able to do something; it may not have done anything for Rani Devi or some other person, but, on the whole, the Government of India has stood by the refugees and has done something for them. Of course, to meet the objection which has been put forward by all these persons, I would suggest to the hon. Minister that he should have a Standing Committee of the Members of Parliament of both the Houses to keep under review the conditions which are prevailing so far as the refugees from West Pakistan are concerned and more so, so far as the refugees from East Pakistan are concerned. I know

[Shri D. C. Sharma.]

that the refugees from East Pakistan have not had a fair deal yet and I want them to be as well settled as they were. We have rehabilitation sites in Cachar, Orissa, West Bengal, U.P., Dandakaranya, Delhi and all those places. Now I want to ask one thing and I put this question in all humility. What does this Bill seek to do? H.G. Wells has said about a character that he spoke about the equator whatever the subject. We are also in the same predicament. Whatever the subject may be, we have to talk on all those subjects. I agree with some of my friends who have come from East Bengal. The problem of the East Bengal refugees has not been properly tackled. What does this Bill seek to do? You put it very aptly, very concisely, and very appropriately that this Bill only seeks to do what has already been done Do these persons want us to undo all that has been done? All these persons who have spoken on this Bill and who are shedding tears over the conditions of refugees, are not refugees, are not refugees I am a refugee. Mr. Amar Singh Saigal is not a refugee. I am a displaced person. I know that all these persons are in the habit of shedding tears over our condition because they do not know our condition; they have never done anything for us and they have not taken any pains to study the conditions of the refugees. I can understand my hon. friends from East Bengal saying so, and I support them. But what have these persons done? They have done nothing.

The scope of the Bill is a very limited one It seeks only to legitimize what has already been done. Now, 23,000 persons are affected and about Rs. 40 lakhs are involved. This money has already been paid. But I would like to request the hon. Minister that instead of three months he should extend the period to one year or six months so that there is no hardship caused to anybody. In fact, even that is not necessary, because the money is already with them.

In order that all the observations made by hon. Members here are met, I would suggest that we should have a permanent standing committee, in fact two standing committees, one for the West Pakistan refugees and the other for the East Pakistan refugees and they should keep under review whatever is being done for these two groups of refugees.

After all, what can we do? Pakistan is recalcitrant and Pakistan is unco-operative. Pakistan is not going to give us anything. Pakistan knows only one thing namely to grab as much from India as possible. There is no reciprocity between Pakistan and India. If these friends of mine can bring Pakistan into a better frame of mind, if they can induce Pakistan to see justice in our claims and to see moral faith in our claims, I think something could have been done. But we find tht the ships and the cargo impounded by Pakistan during the Indo-Pakistan conflict are still with them and they have not yet released them. Pakistan refuses to stretch the hand of friendship to us and if anybody is there who can bring Pakistan into a better frame of mind, I would honour him and I would bow my head before him. But as long as that does not happen, I think we should support this Bill and we should try to see that the legitimate grievances of the refugees whether from West Pakistan or from East Pakistan are looked into. At the same time, the people who have suffered on account of the Indo-Pakistan conflict should not be made scape-goats for anything; they should

also get their due and they should also be rehabilitated properly.

With these words, I thank you very much for having given me, a refugee, a chance to speak on this Bill.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव): सभापति महोदय, मैं अपने मोहतरम दोस्त मिनिस्टर साहब से, जो कि बड़े रहमदिल हैं, कहना चाहता हूं, और अपनी सरकार से भी, कि अभी तक रोना था मगरिबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान का, लेकिन इस वक्त हालत यह हो गई है हिन्दुस्तानियों की, कि जिन छोटे छोटे देशों की आजादी के लिए लोगों ने महात्मा गांधी के झंड के नीचे अपनी आवाज उठाई और वह आहिस्ता आहिस्ता आजाद हुए। अफ्रीका आजाद हुआ, बर्मा आजाद हुआ, लंका आजाद हुआ, वहां से भी लाखों भारत के लोगों को वगैर किसी मुआवजे के निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट नहीं जानती कि किस बुरी हालत में बर्मा से आए हुए भाई जो हैं वह मद्रास की पटरियों पर बैठे हुए हैं। तनजानिया में और दूसरी जगहों में, दुनिया के कोने कोने में जो पंजाबी और सिख भाई काम करने के लिये गये थे उन की अरबों रुपयों की—मैं करोड़ों नहीं कहता—जायदादें वहां की सरकारें नेशनलाइज कर रही हैं और उन को ले रही हैं। मैं मनाता हूं कि उन को नेशनलाइज करने का हक है, लेकिन उन लोगों को मुआवज का हक तो होना चाहिये। उन को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम अफ्रीकी देशों स हिन्दुस्तानियों को निकाला जा रहा है, उन को जलील किया जा रहा है। उन के मकानों पर जो चाहते हैं और जब चाहते हैं दखल कर लेते हैं। उन को वहां रहने का कोई हक नहीं है। उन से कह दिया जाता है कि बाहर जाओ और उन को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। पालिसी यह है कि अगर कोई वहां से अपना सामान लाना चाहता है तो उन पर तरह तरह की शर्तें लगाई जाती हैं। अब यह मसला इस तरह का नहीं रह गया है कि वह मगरिबी पाकिस्तान का या मशरिकी पाकिस्तान का मसला है। अब तो यह मसला उन तमाम देशों का हो गया है जिन को यहां के लोगों ने जा कर बनाया है, बढ़ाया है। तनजानिया में जहां अमृतसर के बहादुर सिखों ने जा कर सौ सौ बसें चलाई, मेरा कहना यह है कि अब वह वहां से उजड़ कर आ रहे हैं और वह भी इस सरकार के ऊपर ही पड़ने वाले हैं। जब तक यह सरकार है तब तक उस के ऊपर पड़ने वाले हैं। वह चाहे तो हमारा कोआपरेशन ले सकती है। लेकिन यह जिम्मेदारी उस पर आ रही है।

एक तरफ तो हालत यह है और दूसरी तरफ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई में हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्से, जिन में अमृतसर का हिस्सा आता है और फीरोजपुर का हिस्सा आता है वह भी बुरी तरह से बरबाद किये गये। उस को बसाने के लिये सरकार जो कुछ दे रही है वह बहुत कम है। सरकार ने समझा है कि उस ने उन को बहुत ज्यादा रुपया दिया है लेकिन मैं ने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने उन जगहों को बनाने में लाखों रुपये खर्च किये वह मकान तक नहीं बना पाये हैं। इस में कोई शक नहीं कि आप से लोगों ने बेईमानी के साथ अपनी जमीनें अलाट कराई हैं। आप उन से पैसा लेना चाहते हैं तो लें, मैं इस में आप के साथ हूं अगर कोई देने के काबिल है तो उस से आप जरूर लें। लेकिन जो लोग फरीदाबाद में हैं जिन्हों ने सारे फरीदाबाद को खुद बसाया है और न्यू टाउनशिप बनाई, मैं ने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मैं गुड़गांव कान्स्टिटुएंसी को रिप्रजन्ट करता हूं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उन के बच्चे जलील हो रहे हैं, वह जलील हो रहे हैं, और उन का कुसूर यह है कि सरकार अपने फैसले बदलती रहती है। कभी आप उन पर कोई बोझ डालते हैं कभी कोई, और उन की बदनसीबी से हम एकानामिकली भी हिन्दुस्तान को सम्भाल नहीं

[श्री अब्दुल गनी दार]

पाये। आप रोज सुनते हैं कि जो सरकारी इरादे चलते हैं उन में करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, लेकिन उन को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन थोड़े से उजड़े हुए भाइयों के बारे में रुकावटें डाली जाती हैं। अगर सरकार कहती है कि उन को इस का हक है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन की आंख खुलनी चाहियें। अभी हिन्दुस्तान के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है क्योंकि जितने लोग बाहर गये थे, जिन्हों ने बाहर की दुनिया को बसाया, उन को बगैर कोई पैसा दिये हुए वहां से निकाला जा रहा है। उन को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

आप बिल लायें। चूंकि व्हिप हो जायेगा इस लिये वह यहां से पास भी हो जायेगा, जिन भाइयों ने बड़े जोरों से तकरीरें की हैं वह भी उस के हक में वोट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब के दिल में कुछ रहम आना चाहिये। अभी इस बिल को आप वापिस लें और वापिस ले कर उडे दिल से तमाम प्राबलैम पर विचार करें। इस वक्त दुनिया भर से हिन्दुस्तानियों को निकाला जा रहा है। जितने हिन्दुस्तानियों ने जा कर अपने कुव्वते बाजू से उन मुल्कों को बनाया था, उन मुल्कों की ताकत को बनाया था, उन मुल्कों की आजादी की लड़ाई में मददगार साबित हुए थे, उनको आजादी दिलाने में उन्होंने अंग्रेजों की मुखालिफत की थी जगह जगह, वे तबाह बरबाद हो कर वापिस आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहब रहम दिल हैं। अगर उन्होंने इस को पास करवाया तो कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी नहीं। अगर इस तरह के बिल लाते रहे तो आपकी ताकत कम होगी, आपकी बदनामी होगी और जनता और भी ज्यादा दुखी होगी। मैं आशा करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको ठंडे दिल से सोचें और सोच कर इसको लायें। जो लोगों का हक है वह उनको मिले और जिन्होंने नाजायज जमीनें दबा रखी हैं, उन से बेशक आप उन जमीनों को वापिस लें इस में हम आपके साथ हैं।

شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوں) : سبھاپتی مہودے - میں اپنے محترم دوست منسٹر صاحب سے - جو کہ بڑے رحمدل ہیں - کہنا چاہتا ہوں اور اپنی سرکار سے بھی - کہ ابھی تک رونا تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا - لیکن اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے ہندوستانیوں کی - کہ جن چھوٹے چھوٹے دیشوں کی آزادی کے لئے لوگوں نے مہاتما گاندھی کے جھنڈے کے نیچے اپنی آواز اٹھائی اور وہ آہستہ آہستہ آزاد ہوئے افریقہ آزاد ہوا ، برما آزاد ہوا ، لنکا آزاد ہوا - وہاں سے بھی لاکھوں بھارت کے لوگوں کو بغیر کسی معاوضہ کے نکالا جا رہا ہے - گورنمنٹ نہیں جانتی کہ کس بری حالت میں برما سے آئے ہوئے بھائی جو ہیں وہ مدراس کی پٹریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں - تنزانیہ میں اور دوسری جگہوں میں دنیا کے کونے کونے میں جو پنجابی اور سکھ بھائی کام کرنے کے لئے گئے تھے ان کی عربوں روپیوں کی — میں کروڑوں نہیں کہتا — جائدادیں وہاں کی سرکاریں نیشنلائز کر رہی ہیں اور ان کو لے رہی ہیں - میں مانتا ہوں کہ ان کو نیشنلائز کرنے کا حق ہے - لیکن ان لوگوں کو معاوضہ کا حق تو ہونا چاہیئے - ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ تمام افریقی دیشوں سے

ہندوستانیوں کو نکالا جا رہا ہے - ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے - ان کے مکانوں پر جو چاہتے ہیں دخل کر لیتے ہیں - ان کو وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے - ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا - پالیسی یہ ہے کہ کوئی وہاں سے اپنا سامان لانا چاہتا ہے تو ان پر طرح طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں - اب یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں رہ گیا ہے - یہ مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان کا مسئلہ ہے - اب و یہ مسئلہ ان تمام دیشوں کا ہو گیا ہے جن کو یہاں کے لوگوں نے بسایا ہے - بڑھایا ہے تنزانیہ میں جہاں امرتسر کے بہادر سکھوں نے جا کر دو سو بسیں چلائیں میرا کہنا یہ ہے کہ اب وہ وہاں سے اُجڑ کر آ رہے ہیں اور وہ بھی اس سرکار کے اوپر پڑنے والے ہیں - جب تک یہ سرکار ہے تب تک اس کے اوپر پڑنے والے ہیں - وہ چاہے تو ہمارا کارپوریشن لے سکتی ہے - لیکن یہ ذمہ داری اس پر آ رہی ہے -

ایک طرف تو حالت یہ ہے اور دوسری طرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی میں ہندوستان کے بہت سے حصے - جن میں امرتسر کا حصہ تھا ہے اور فیروز پور کا حصہ آتا ہے - وہ بھی بری طرح سے برباد کئے گئے - ان کو بسانے کے لئے سرکار جو کچھ دے رہی ہے وہ بہت کم ہے سرکار نے سمجھا ہے کہ اس نے ان کو بہت زیادہ روپیہ دیا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان جگہوں کو بسانے میں لاکھوں روپئے خرچ کئے وہ مدت تک نہیں بسا پائے ہیں - اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے لوگوں نے بے ایمانی کے ساتھ اپنی زمینیں الاٹ کرائی ہیں - آپ ان سے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو لیں - میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں - اگر کوئی دینے کے قابل ہے تو اس سے آپ ضرور لیں - لیکن جو لوگ فریدآباد میں ہیں جنہوں نے فریدآباد کو خود بسایا اور نیو ٹاؤن شپ بنائی - میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ میں گڑگانوں کانسٹیٹیوینسی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں - میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ان کے بچے ذلیل ہو رہے ہیں - اور ان کا قصور یہ ہے کہ سرکار اپنے فیصلے بدلتی رہتی ہے - کبھی آپ ان پر کوئی بوجھ ڈال دیتے ہیں کبھی کوئی - اور ان کی بد نصیبی ہے ہم ایکنومیکلی بھی ہندوستان کو سنبھال نہیں پائے - آپ روز سنتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے چلتے ہیں ان میں کروڑوں روپئے کا نقصان ہوتا ہے - لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے - لیکن ان تھوڑے سے اجڑے ہوئے بھائیوں کے بارے میں رکاوٹیں

ڈالی جاتی ھیں - اگر سرکار کہتی ھے کہ ان کو اس کا حق ھے تو میں عرض کرنا چاھتا ھوں کہ ان کی آنکھیں کھلنی چاھئیں - ابھی ھندوستان کے اوپر بڑی مصیبت آنے والی ھے کیونکہ جتنے لوگ باھر گئے تھے ، جنھوں نے باھر کی دنیا کو بسایا - ان کو بغیر کوئی پیسہ دئے وھاں سے نکالا جا رھا ھے - ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رھا ھے -

آپ بل لائیں - چونکہ وھپ ھو جائے گا اس لئے وہ یہاں سے پاس بھی ھو جائے گا جن بھائیوں نے بڑے زوروں سے تقریریں کی ھیں وہ بھی اس کے حق میں ووٹ کریں گے - لیکن میں چاھتا ھوں کہ منسٹر صاحب کے دل میں کچھ رحم آنا چاھیئے - ابھی اس بل کو آپ واپس لیں اور واپس لے کر ٹھنڈے دل سے تمام پرابلم پر وچار کریں - اس وقت دنیا بھر سے ھندوستانیوں کو نکالا جا رھا ھے - جتنے ھندوستانیوں نے جا کر اپنے قوت بازو سے ان ملکوں کو بنایا تھا ، ان ملکوں کی طاقت کو بنایا تھا ان ملکوں کی آزادی کی لڑائی میں مددگار ثابت ھوئے تھے - ان کو آزادی دلانے میں انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی جگہ جگہ - وہ اب واپس آ رھے ھیں - میں چاھتا ھوں کہ منسٹر صاحب رحم دل ھیں - اگر انہوں نے اس کو پاس کروایا تو اس سے کانگریس کی طاقت بڑھے گی نہیں - اگر اس طرح نے بل لاتے رھے تو آپ کی طاقت کم ھوگی - آپ کی بدنامی ھوگی اور جنتا اور بھی زیادہ دکھی ھوگی - میں آشا کرتا ھوں کہ منسٹر صاحب اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور سوچ کر اس کو لائیں - جو لوگوں کا حق ھے وہ ان کو ملے اور جنھوں نے ناجائز زمینیں دبا رکھی ھیں - ان سے بےشک آپ ان زمینوں کو واپس لیں - اس میں ھم آپ کے ساتھ ھیں -

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, आपको याद होगा कि कई बार इस प्रश्न को उठाया गया कि जब किसी बिल पर बहस हो रही हो तो कैबिनेट मिनिस्टर यहां मौजूद होना चाहिये । आपको यह भी याद होगा कि सरदार हुकम सिंह जब स्पीकर थे तब उन्होंने भी यही व्यवस्था दी थी । इस वक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर उपस्थित नहीं है । इसके बारे मे मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मिनिटर साहब तो बैठे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कैबिनेट मिनिस्टर को आप नहीं बुलायेंगे ? मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हाउस में कोरम नहीं है ।

12-24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now there is quorum.

SHRI D. R. CHAVAN: I listened to the speeches delivered by many hon. members with very rapt attention. A number of members brought in the problem of refugees from East Pakistan and West Pakistan. Some of the members went to the extent of saying that during the last 15 or 16 years Government had done nothing

so far as the rehabilitation problem of the country is concerned. I may inform the hon. Members that the Government of India have spent more than Rs. 500 crores on the rehabilitation of refugees from East Pakistan and West Pakistan and that being so, I am rather surprised to find at this type of criticism levelled against the Government. A number of things have been done to solve the problem of displaced persons in West Bengal and sometime in 1960-61, the residuary problem there was assessed by representatives of both the West Bengal and the Central Governments and as a result of that assessment, it was felt that about Rs. 20 crores more would be needed for the solution of this problem. A major portion of this money had been spent and we are awaiting schemes from the Government of West Bengal to utilise the rest of the money. A number of refugees had been taken to Dandakaranya and my hon. colleague Mr. N. C. Chatterjee after paying a visit to Dandakaranya paid a glowing tribute to the work done there. Two medium irrigation schemes have been undertaken at a cost of about as 4 crores and when this scheme comes to fruition I am confident that those who had been rehabilitated in Dandakaranya will be economically secure. Once the irrigation facilities are provided, milk and honey will be flowing in those areas.

SHRI DHIRESWAR KALITA: What are you doing for those in Assam?

SHRI D. R. CHAVAN: In Assam here are nearly 19,000 families and about 12.000 families would be provided benefits of rehabilitation by schemes undertaken by the Central and the State Governments. But those points which had been made by hon. Members are not relevant to the Bill. The purpose of this Bill is defferent. Shri Randhir Singh wanted that the Bill should be withdrawn and asked: why are you taking money from them? I am sorry to say that my hon. friends do not seem to have listened to my speech. What has been done? A decision was taken at the Joint Board of Rehabilitation consisting of representatives of Center, Punjab and PEPSU and in pursuance of that decision, executive directions were issued for making deductions from the compensation that was to be paid to the persons who had mortgaged their property to the residents in Pakistan. I shall give an illustration. Suppose a displaced person had ten standard acres and he had taken money by mortgaging this property—say, Rs. 2,000—to a residents in West Pakistan. There are rules made under the rule-making powers given under the Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Act. In accordance with the rules, and the scheme of compensation that has been provided therein, all these deductions have been made or are proposed to be made. In this particu'ar case, what has happened? The mortgagor came down to India mortgaging his property there; as I pointed out, take the case of 10 standard acres. He has taken Rs. 2,000. In accordance with the rules, he will get an allotment of land of 7.8 standard acres, because his allotment is subjected to a graded cut of about 25 per cent. Similarly, the money which he has taken from a resident in West Pakistan, about Rs. 2,000, is also subjected to a graded cut. That amount will be brought down to Rs. 1,500; on paying this amount, the allotment of land of 7.8 standard acres can be retained.

Therefore, the question here is, the person who has already received some consideration for a mortgago-charge, will not be allowed to retain the land as well as the money which he has received there. Therefore, the Joint Board of Rehabilitation took a decision to deduct this amount of Rs. 1,500 from the compensation that was payable to that person This amount has to be deducted because it forms part of the compensation pool. Therefore, between 1952 and 1964, nearly 23,000 cases have been decided. The money has been taken and realised. These

[Shri D. R. Chavan]

executive directions came to be challenged in the Punjab High Court under a writ petition, and the Punjab High Court stated that the deduction cannot be made under executive directions unless a substantive provision is made in the law. That is the reason why we have come here with this Bill.

Now, that decision came sometime in the month of May, 1964. After that, an effort was made by the Department to introduce this Bill, but for want of time it could not be included in the business. It was introduced also in the previous Parliament, but after the new elections, that Bill lapsed, and that is the reason why it has been brought in now. Therefore, what has been done is, because it came to be challenged in a writ petition in the Punjab High Court, it has got to be validated by bringing this provision. That is the only purpose of the Bill.

So many hon. friends have made a reference to so many things. I assure the hon. Members that the demands for grants are coming up, the demands for grants under this department are going to come, and then they can take up this problem right from the border of Assam to Chaamb-Jaurian and Khem Karan. I have paid a visit to Chaamb-Jaurian, Khem Karan and other areas. To say that nothing has been done in Khem Karan and Chaamb-Jaurian is absolutely wrong. Only small problems remain; most of the things have been done there and the people have been rehabilitated. I am going to that place on the 19th of this month to see what is the quantum of the problem that still remains to be solved.

Therefore the purpose of the Bill is small, but unnecessarily so many problems have been brought in. Therefore, I would like to tell my hon. friend Shri Randhir Singh that I can understand the emotional outbursts because he is in the midst of those persons who have been affected and whose homes have been lost and abandoned in Pakistan. I can understand his feeling, and I can understand the feelings of several other hon. friends also. But this is not the occasion when these problems can be brought in. The demands for grants under this department are coming up, and you are free to raise any problem then. My hon. friend Shri Patil raised some individual questions. Let him send those representations which he has received; if the representations which have been received by him are not sent to me, what is the action that I am likely to take? Therefore, I request him that those representations should be sent to me. Another hon. friend, Shri Baswant, raised the problem of Ulhasnagar. I know that a number of problems are pending there for the last 15 to 16 years, and the Department of Rehabilitation is doing its best to solve all those problems. Mr. Baswant himself is associated with one of the committees called the screening committee which scrutinises the applications and suggests solutions to us. Therefore, all these problems would be solved.

As I said, the purpose of the Bill is limited. What has been done has got to be validated. Therefore, I would request hon. members to support this Bill without any hesitation. I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, clause-by-clause consideration. There are no amendments to clause 2

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill."

Clause 1—(Short title.)

Amendment made:

Page 1, line 4, *for* "1967" *substitute* "1968". (2)

(*Shri D. R. Chavan*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line *for* "Eighteenth" *substitute* "Nineteenth" (1)

(*Shri D. R. Chavan*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

The Title was added to the Bill.

SHRI D. R. CHAVAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.28 hrs.

INSECTICIDES BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): Sir, I beg to move:

"That the Bill to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or animals, and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । दूसरा बिल शुरू हो गया है, लेकिन कोई भी केबिनेट मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं है । आप हमेशा इस बात को टाल देते हैं । इस बारे में आप का निर्णय क्या है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What you have said on the floor of the House will be conveyed to the Ministers and Cabinet Ministers as well.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या आप किसी केबिनेट मिनिस्टर को नहीं बुलायेंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Immediately it is being conveyed.

श्री हुकम चन्द कछवाय : तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Deputy Minister may kindly resume his seat. Quorum has been challenged. The Bell is being rung.

Now there is quorum. The hon. Deputy Minister may continue his speech.

SHRI B. S. MURTHY: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Insecticides Bill 1967 as passed by the Rajya Sabha on 28th November, 1967 was introduced in Rajya Sabha four years